प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 4003/2007

याचिकाकर्ता - भैयालाल, पिता सोभनाथ, आयु लगभग 52 वर्ष, कार्यरत कटकोना कोलियरी, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एस.ई.सी.एल., बिलासपुर, सीपत रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छ.ग.)

3. उप क्षेत्र प्रबंधक, कटकोना कोलियरी, एस.ई.सी.एल., डाकघर कटकोना कोलियरी, जिला कोरिया (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थितः

श्री एस.एन. प्रसाद, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से

....

आदेश

(दिनांक 12 जुलाई, 2007 को पारित)

याचिकाकर्ता दिनांक 24.10.1990 (अनुलग्नक पी.-1) के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा एवं जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता, जो कि पीस रेटेड लोडर के रूप में कार्यरत था,

को सामान्य श्रमिक, श्रेणी-1 के रूप में टाइम रेटेड सेवा में परिवर्तित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता को वर्ष 2005 में यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ पीस रेटेड लोडरों को सामान्य श्रमिक, श्रेणी-1 के रूप में टाइम रेटेड सेवा में परिवर्तित किया गया है। इसके पश्चात 15 वर्ष के विलंब के बाद, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2006 में श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय ने दिनांक 04.04.2006 (अनुलग्नक पी.-9) के आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि वेतन/बकाया राशि की मांग हेतु आवेदन 12 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने लगभग 15 वर्षों तक कोई कदम नहीं उठाया तथा अत्यधिक विलंब के लिए कोई उचित कारण भी प्रस्तुत नहीं किया। उक्त परिस्थितियों में, याचिका को विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. औद्योगिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक अपील को दिनांक 19.12.2006 (अनुलग्नक पी-11) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया, जिसमें 'वेतन भुगतान अधिनियम' के तहत प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और कारणों को यथावत रखा गया।

3. याचिकाकर्ता ने इस तरह के अस्पष्टीकृत और अत्यधिक विलंब के लिए उचित कारण बताए बिना वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है। मुझे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई अनियमितता, विकृति या अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं मिली है।

4. यह याचिका पंद्रह वर्षों के लंबे और अस्पष्टीकृत विलंब के बाद प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता इस याचिका को प्रस्तुत करने में हुए इतने लंबे विलंब हेतु क्षमा के लिए कोई भी कारण प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहा है।

5. यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सामान्यतः सुस्त, धीमा या मौन सहमति देने वाले व्यक्तियों की सहायता नहीं करता है, क्योंकि विलंब से किए गए प्रयास का प्रभाव न केवल कठिनाई और असुविधा उत्पन्न कर सकता है, बल्कि तीसरे पक्षों के साथ अन्याय भी कर सकता है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने **पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य**[1] में निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "ऐसा नहीं है कि न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई परिधि निर्धारित है, और न ही ऐसा है कि कोई ऐसा मामला कभी नहीं हो सकता जहाँ न्यायालय एक निश्चित समय बीत जाने के बाद हस्तक्षेप न कर सकें। लेकिन न्यायालयों के लिए विवेक का एक उचित और बुद्धिमानी पूर्ण प्रयोग यही होगा कि वे उन व्यक्तियों के मामले में अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दें, जो राहत के लिए शीघ्रता से न्यायालय के पास नहीं आते हैं और जो मूकदर्शक बने रहकर चीजों को होने देते हैं और फिर पुराने दावों को प्रस्तुत करने और तय हो चुके मामलों को अस्थिर करने के लिए न्यायालय का रुख करते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम नंदलाल जायसवाल एवं अन्य**[2]०[2] में आगे यह टिप्पणी की:

> "अब, यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उचित रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है और उच्च न्यायालय अपने विवेक के प्रयोग में सामान्यतः सुस्त, धीमा या मौन सहमति देने वाले व्यक्तियों की सहायता नहीं करता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब किया गया है और ऐसे विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप करने और राहत देने से इनकार कर सकता है। विलंब या अतिविलंब के इस नियम का विकास कई कारकों पर आधारित है। उच्च न्यायालय आमतौर पर रिट अधिकारिता के तहत असाधारण उपचार

---
1 AIR 1974 SC 2271
2 (1986) 4 SCC 566

के विलंबित उपयोग की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इससे भ्रम और सार्वजनिक असुविधा होने की संभावना होती है और यह अपने साथ नए अन्याय लेकर आता है। इसमें तीसरे पक्षों के अधिकार बीच में आ सकते हैं और यदि अनुचित विलंब के बाद प्रस्तुत रिट याचिका पर रिट अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रभाव न केवल तीसरे पक्षों पर कठिनाई और असुविधा बल्कि अन्याय भी कर सकता है। जब उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता का आह्वान किया जाता है, तो इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकारों के सृजन के साथ अस्पष्टीकृत विलंब एक महत्वपूर्ण कारक है जो उच्च न्यायालय के लिए यह निर्णय लेने में हमेशा प्रभावी होता है कि इस तरह के अधिकारिता का प्रयोग किया जाए या नहीं। हम इस निर्णय को इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों के संदर्भों से बोझिल करना आवश्यक नहीं समझते, जहाँ बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जहाँ अत्यधिक और अस्पष्टीकृत विलंब होता है और बीच की अवधि में तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित हो जाते हैं, वहाँ उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा, भले ही जिस राज्य की कार्यवाही की शिकायत की गई है वह असंवैधानिक या अवैध ही क्यों न हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सर्वोच्च न्यायालय ने **बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम दीनबंधु मजुमदार एवं एक अन्य**[3] में भी निम्नानुसार टिप्पणी की:

"हमारी राय में, कर्मचारी द्वारा इस मामले में आपत्ति न उठाने का आचरण ही उच्च न्यायालय के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए कि वह मौन सहमति, विलंब और अत्यधिक विलंब के आधार पर ऐसे आवेदनों पर विचार न करे।"

9. सर्वोच्च न्यायालय ने **कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक व एक अन्य बनाम के. थंगप्पन एवं एक अन्य** में निम्नानुसार टिप्पणी की:

3 (1995) 4 SCC 172

"विलंब या अतिविलंब उन कारकों में से एक है जिसे उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। एक उचित मामले में, उच्च न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर सकता है यदि आवेदक की ओर से अपने अधिकार का दावा करने में ऐसी लापरवाही या चूक हुई है, जो समय बीतने और अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर विपक्षी दल के प्रति प्रतिकूल प्रभाव (prejudice) पैदा करती है। जैसा कि दुर्गा प्रसाद बनाम मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात में स्पष्ट किया गया है, यहाँ तक कि जहाँ मौलिक अधिकार का मामला शामिल हो, तब भी विषय न्यायालय के विवेक के भीतर ही रहता है। बेशक, इस विवेक का प्रयोग न्यायिक और तर्कसंगत रूप से किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में, 'वाद हेतुक' 24.10.1990 को उत्पन्न हुआ था, जब राज्य शासन द्वारा अधिकारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए सूचना भेजी गई थी। याचिकाकर्ता ने तब से लेकर 11.04.2007 में इस याचिका के प्रस्तुत होने तक कोई कदम नहीं उठाया और वह सुस्त व निष्क्रिय बना रहा। यह विलंबित दृष्टिकोण निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के लिए कठिनाई और असुविधा का कारण बनेगा।

11. परिणाम स्वरूप, उपरोक्त कारणों के आधार पर, यह याचिका संक्षेप में खारिज की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur